

राजस्थान सरकार
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी
(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel.2227725)

क्रमांक: एफ 61()SSAAT/2021/1371-78

जयपुर, दिनांक 23-2-21

(72)
जिला कलेक्टर एवं

जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा),

चित्तौड़गढ़।

(संख्या - 23 - /2021)
23

विषय:-ग्राम पंचायत नपानिया, पंचायत समिति भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ की समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण के दौरान सामाजिक अंकेक्षण दल सदस्यों के साथ दुर्यवहार (जान से मारने की धमकी एवं मोबाईल छीनना) एवं मशीन का प्रयोग करने पर दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक/पुलिस की करवाई करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम पंचायत नपानिया, पंचायत समिति भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ की महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण का कार्यक्रम निर्धारित दिनांक 27 जनवरी, 2021 को सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया। इस संबंध में अंकेक्षण दल से शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी प्रतिलिपी मय फोटों संलग्न है जिसके अनुसार समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत नपानिया के ग्राम विकास अधिकारी ने अंकेक्षण दल के सदस्यों के साथ मारपीट, गाली गलौच की गई एवं मोबाइल छीन लिया और समस्त अंकेक्षण दल के सदस्यों को जे.सी.बी. से जिन्दा दफन करने की धमकी दी और जे.सी.बी. द्वारा कार्य करवाया जाना बताया गया।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि आप इस सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच हेतु एक कमेटी बनाकर निष्पक्ष जाँच करावे तथा जाँच पश्चात् संबंधित दोषियों के विरुद्ध C.C.A. नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं मशीन का उपयोग करने के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी/अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता अन्तर्गत पुलिस कार्यवाही की जाकर इस कार्यालय को रिपोर्ट 7 दिवस में प्रेषित करने का कष्ट करे।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक,

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता
सोसायटी(SSAAT)
राजस्थान जयपुर

जयपुर, दिनांक 23-2-21

क्रमांक: एफ 61()SSAAT/2021/1371-78

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं सहअध्यक्ष, कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास सह सदस्य सचिव शासी निकाय (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् चित्तौड़गढ़।
5. कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
6. श्री गोविन्दराम मीणा BRPs पंचायत समिति भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
7. रक्षित पत्रावली।

(लेखिकारी)

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता
सोसायटी(SSAAT)